फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि0 शाखा जयपुर बनाम मैसर्स श्री गोवर्धन साडी सेंटर

किस्म मुकदमाः–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 06 सन् 2026

GCMS No. 2026/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
13.03.2026	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री मानसिंह मीणा प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि0 शाखा जयपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1. मेसर्स श्री गोवर्धन साडी सेंटर पता– मनियां धौलपुर आगरा रोड धौलपुर 328024 2. सहऋणी डोंगर सिंह पुत्र नेकशियाराम निवासी– फकीर मोहल्ला मनिया धौलपुर 328024 अन्य पता– सम्पती स्थित प्लॉट नम्बर 4 तहसील मनियां जिला धौलपुर 3. सहऋणी पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र डूंगर सिंह निवासी आदर्श कालोनी फकीर मोहल्ला धौलपुर मनियां 328024 4. सहऋणी लखनसिंह पुत्र डूंगर सिंह निवासी– आदर्श कालोनी फकीर मोहल्ला मनियां धौलपुर 328024 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 22.12.2022 को जरिये ऋण अनुबंध संख्या L9001060831474522 रूपये 250,000 का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– सम्पत्ति स्थित प्लॉट नम्बर 4 तहसील मनियां जिला धौलपुर क्षेत्रफल 1604.57 वर्गफीट पूर्व दिश में रास्ता, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 5 दक्षिण में रास्ता ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 08.06.2025 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 16.06.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 197984/– दिनांक 10.06.2025 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल	

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पति सम्पत्ति स्थित प्लॉट नम्बर 4 तहसील मनियां जिला धौलपुर क्षेत्रफल 1604.57 वर्गफीट पूर्व दिश मे रास्ता, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 5 दक्षिण में रास्ता जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 30/03/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,